कार्यालय पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,पाली

क्रमांक :– दुसंपा / विपणन / 2022–23 / दिनांक :–21.03.2023

सरस सरस

–:: आवेदन सूचना ::–

दुग्ध संघ, पाली द्वारा निम्न कार्यो हेतु सक्षम व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

(अ) सरस पार्लर खोलने हेतु :– आवेदक के पास पाली शहर / ग्रामीण क्षेत्र / हाईवे पर, स्वयं अथवा किराया का स्थान, बैठने की सुविधा व डीप फ्रीज होना आवश्यक है।

(ब) सरस मित्र बनने हेतु :– पाली शहर / ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित सरस शॉप एजेंसी / डेयरी बूथ से दूध व दूध उत्पाद प्राप्त कर होम डिलिवरी करने हेतु।

आवेदन संबंधी समस्त विवरण दुग्ध संघ, पाली के विपणन विभाग (96809–07912) व वेबसाईट www.palisaras.com द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन प्रपत्र दिनांक 20.04.2023 सायं 5.00 बजे तक विपणन अनुभाग से प्राप्त कर जमा किये जा सकेगें।

(शैतान सिंह सोनीगरा)
प्रबन्ध संचालक

18016 – 18019
21-03-2023

प्रतिलिपी :–

1. मैसर्स श्रीमाली एड एजेन्सी, महालक्ष्मी मन्दिर के सामने पाली को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा **राजस्थान पत्रिका के पाली जिला संस्करण में दिनांक 22.03.2023 को न्यूनतम कॉलम में शीघ्र प्रकाशित कर** बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
2. मैसर्स मारूती एण्ड एजेन्सी, पाली को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा **दैनिक भास्कर के पाली जिला संस्करण में दिनांक 22.03.2023 को न्यूनतम कॉलम में शीघ्र प्रकाशित कर** बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
3. प्रभारी अधिकारी (एम.आई.एस.) को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा की सूचना संघ की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली।

प्रबन्ध संचालक

Scanned with CamScanner

...........................जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

शॉप ऐजेन्सी / बूथ आवण्टन /पार्लर/ हाईवे पार्लर – आवेदन पत्र

आवेदक की फोटो	

नाम आवेदक श्री / सुश्री ....
पिता / पति का नाम ....
जन्म दिनांक ....
आवेदक का पता:
1. वर्तमान पता : ....
: ....
2. स्थायी पता : ....
: ....

(स्थायी पते का प्रमाण पत्र – मूल निवास/ राशन कार्ड/वोटर आईडी/अन्य..............................)
दूरभाष नं. लैण्डलाईन : ....मोबाईल नं. ....
वर्तमान व्यवसाय : ....पहचान पत्र..........................(प्रति संलग्न करें)
एफ.एस.एस.आई लाईसेंस : .... (प्रति संलग्न करें)
शॉप एजेन्सी / बूथ/ पार्लर का प्रस्तावित स्थान का पूर्ण पता : ....
....

(शॉप एजेन्सी / बूथ/ पार्लर के लिये स्थल मानचित्र संलग्न करें)..

मुझे .... जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा दूध एवं दुग्ध पदार्थो विक्रय व शॉप एजेन्सी / बूथ/ पार्लर के संचालन हेतु निर्धारित शर्ते पूर्णरूप से मान्य है तथा मैं इनका नियमित रूप से पालन करूंगा, इसके लिये मैं दुग्ध संघ के साथ अनुबन्ध करने को तैयार हूँ। निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करने पर मेरी ऐजेंसी निरस्त की जा सकती है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

सहायक विक्रय प्रतिनिधि की टिप्पणी

1. प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की दिनांक :......................................वापसी जमा दिनांक ....
2. क्या प्रस्तावित स्थान पर अनुबन्धित गाडी जा सकती है– 1–हॉ 2–नहीं
3. क्या प्रार्थी के पास फ्रिज की सुविधा उपलब्ध है – 1–हॉ 2–नहीं
4. प्रस्तावित स्थल के पास स्थित बूथ / शॉप एजेन्सियों/पार्लर का विस्तृत विवरण –

कम सं.	बूथ / शॉप एजेन्सी सख्या	प्रस्तावित स्थल से दूरी (मीटर)	प्रतिदिन की औसत बिकी (लीटर)
1.			
2.			
3.			

5. ऐजेन्सी आवंटन के बारे में रिपोर्ट : ....
....

संघ अधिकृत निरीक्षक

वर्तमान में बूथ / शॉप ऐजेन्सी स्वीकृत/ अस्वीकृत की जाती है। कृपया धरोहर राशि रूपये......................... जमा करावें।

संघ अधिकृत अधिकारी

धरोहर राशि रूपये : ....अग्रिम बूथ किराया राशि ....डी.डी. न......................................राशि ....दिनांक ....रसीद संख्या ....दिनांक ....शॉप एजेन्सी संख्या ....क्षेत्र संख्या .... आवंटित करते हुऐ दिनांक .... से सप्लाई प्रारम्भ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संघ अधिकृत अधिकारी

Scanned with CamScanner

..............................जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

"सरस मित्र" पंजीयन फार्म

प्रार्थी का नाम :..

पिता / पति का नाम :..

दूरभाष/मोबाईल न. :..

आधार कार्ड नं. :..
(छायाप्रति संलग्न करें)

प्रार्थी का पासपोर्ट साईज का फोटो

आवेदक का पताः

1. वर्तमान पता : ....
....

2. स्थायी पता : ....
....

(स्थायी पते का प्रमाण पत्र – मूल निवास/ राशन कार्ड/वोटर आईडी/अन्य..........................)

डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर का कोड संख्या मय पूर्ण पता : ....
.... मोबाईल नं. :..

(बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर धारक के हस्ताक्षर) (आवेदक के हस्ताक्षर)

नये सरस मित्र द्वारा अनुमानित होम डिलिवरी की संभावना के क्रम में टिप्पणी :

हस्ताक्षर क्षैत्रीय प्रभारी/संविदा कार्मिक हस्ताक्षर प्रभारी (विपणन)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

प्रार्थी का नाम :.. पंजीयन संख्या :..

पंजीयन राशि .... डीडी संख्या : .... दिनांक : ....

बैंक का नाम :.................................... संघ रसीद नम्बर :. .... दिनांक :.........................

हस्ताक्षर
(संघ अधिकृत अधिकारी)

Scanned with CamScanner

(100/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र "सरस मित्र"

मै. नाम .... पिता का नाम ....

मकान नं. .... निवासी ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं नीचे लिखी सभी शर्तो की पालना करूंगा/करूंगी।

1. मैं दैनिक दूध एवं दुग्ध उत्पाद की डिमाण्ड समय पर अपने अधिकृत रिटेलर को लिखाऊंगा।
2. मै. दैनिक दूध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि अपने रिटेलर को समय पर जमा कराने के लिये बाध्य रहूंगा।
3. मैं रिटेलर से प्राप्त दूध एवं उत्पाद को उपलब्ध करवाये गये इन्सुलेटेड बॉक्स में रख कर विक्रय करूंगा।
4. मैं रिटेलर से प्राप्त दूध के खाली क्रेट समय पर वापस करूंगा।
5. मेरे द्वारा सरस पैक्ड दूध एवं उत्पादो की उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी की जावेगी, इस हेतु बूथ धारक से प्राप्त मार्जिन के अतिरिक्त संघ द्वारा निर्धारित मार्जिन रू0 1/– प्रति लीटर से अतिरिक्त मार्जिन उपभोक्ता से नहीं लुंगा।
6. मैं दूध वितरण/विक्रय का कार्य संघ द्वारा निर्धारित मापदण्डो एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा।
7. मैं केवल सरस के दूध एवं दूध उत्पाद ही विक्रय करूंगा अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का व्यापार नहीं करूंगा। यदि अन्य ब्राण्ड के व्यापार में लिप्त पाया जाता हूं तो डेयरी प्रबंध संचालक महोदय को मेरी सब रिटेलरशीप समाप्त करने का अधिकार होगा।
8. मैं स्वयं के व्यय पर फूड लाईसेन्स प्राप्त करूंगा। मैं सभी राजकीय कानूनों/नियमों की पालना करने के लिये हमेशा जिम्मेदार रहूंगा।
9. मैं उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाये देने एवं संघ/उपभोक्ताओं के हित में किसी भी शर्त में परिवर्तन/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को देने पर सहमति प्रदान करता हूं।
10. मैं समय समय पर संघ द्वारा प्रकाशित दूध एवं दुग्ध उत्पाद मूल्य सूची की पालना करूंगा।
11. भविष्य में यदि सरस मित्र की एजेन्सी समाप्त करने से पूर्व डेयरी से प्राप्त इन्सुलेटेड बॉक्स व अन्य सामान डेयरी में जमा करवा दुगां तथा रिटेलर से अबकाया प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करने के पश्चात ही सुरक्षा राशि लेने का विकल्प दुंगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

सरस मित्र बनाने की प्रक्रिया

जिला दुग्ध संघो के स्तर पर निम्न प्रक्रियानुसार सरस मित्र बनाया जाना है :–

1. संबंधित जिला दुग्ध संघ निर्धारित प्रपत्र में इच्छुक आवेदको से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। आवेदन पत्र संबंधित दुग्ध संघ से प्राप्त कर आवेदनकर्ता को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादो के वितरण का क्षेत्र एवं जिस डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर के माध्यम से वह वितरण कार्य करना चाहता है उसका विवरण अंकित करना होगा। सफल आवेदक द्वारा रू0 1000/– की सुरक्षा राशि संबंधित दुग्ध संघ में जमा करवानी होगी।
2. पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो की छटनी पश्चात सफल आवेदको को एक डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर से जोड़ा जावेगा।
3. वर्तमान में कुछ दुग्ध संघो के कार्यक्षेत्र में सरस मित्र कार्यरत हैं जो कि डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर से जुडे हुए हैं ऐसे सरस मित्रो हेतु संबंधित बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर से प्रस्ताव लिया जावेगा। पूर्व में कार्यरत सरस मित्र भी इसी पॉलिसी से संचालित होंगे।
4. वर्तमान में कार्यरत डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर संचालनकर्ता के माध्यम से सरस मित्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को वरियता दी जायेगी।
5. सरस मित्र उनसे जुड़े हुए डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद अग्रिम भुगतान से प्राप्त कर अपने वितरण क्षेत्र में वितरित करेगा जिस हेतु संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर संचालनकर्ता द्वारा अपने मार्जिन में से 50 प्रतिशत की राशि सरस मित्र को दी जावेगी। सरस मित्र द्वारा दुग्ध उत्पादो की होम डिलिवरी से संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर की बिक्री बढ़ने से उन्हे अतिरिक्त लाभ होगा।
6. सरस मित्र अपने क्षेत्र की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादो की मांग (Demand) संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर को एक दिवस पूर्व देगा ताकि संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर संचालनकर्ता डेयरी में समय पर उक्त उत्पादो की बुकिंग करवा सके।
7. सरस मित्र द्वारा उपभोक्ताओं से सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादो की होम डिलिवरी के विरूद्ध उत्पाद पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य के अतिरिक्त अधिकतम रू0 1/– प्रति लीटर/किलोग्राम का सुविधा शुल्क लिया जा सकता है।
8. जिला दुग्ध संघो द्वारा स्वयं के खर्चे पर सरस मित्रो को वर्ष में एक बार सरस लोगो युक्त दो टी–शर्ट एवं दो कैप निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावेगी जिसे सरस मित्रो द्वारा सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादो के वितरण के समय पहनना अनिवार्य होगा।
9. जिला दुग्ध संघो द्वारा स्वयं के खर्चे पर सरस मित्रो को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादो की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु 20–30 लीटर क्षमता का इन्सुलेटेड बॉक्स उनके द्वारा जमा करवायी गई सुरक्षा राशि के विरूद्ध उपलब्ध करवाया जावेगा।
10. जिला दुग्ध संघो द्वारा ग्राहको में सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादो के प्रति जागरूकता एवं सरस ब्राण्ड के प्रचार–प्रसार हेतु सरस मित्रों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवायेगे।
11. सरस मित्र का व्यवहार उपभोक्ताओ/ डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर संचालनकर्ताओ से शालीन/मिलनसार होगा। सरस मित्र के विरूद्ध उपभोक्ताओ/डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर संचालनकर्ताओ से शिकायत प्राप्त होने पर कार्य निरस्त किया जा सकेगा।
12. सरस मित्र द्वारा कार्य छोड़ने या समाप्त करने की स्थिति में उसको उपलब्ध करवाया गया इन्सुलेटेड बॉक्स जिला दुग्ध संघ में जमा करवाना होगा एवं संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेन्सी/पार्लर संचालनकर्ता से अबकाया प्रमाणपत्र प्राप्त कर संबंधित दुग्ध संघ में जमा कराने के उपरांत ही उसकी जमा सुरक्षा राशि लौटायी जा सकेगी।

Scanned with CamScanner